

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021
(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष 2021)

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) को अग्रेतर संशोधित करने के लिए-

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय,

(क) धारा 6 में उल्लिखित उपबंध दिनांक 01 जून, 2021 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे;

(ख) धारा 4 और 5 में उल्लिखित उपबंध दिनांक 01 अगस्त, 2021 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे;

(ग) धारा 2, 3 और धारा 7 से 15 में उल्लिखित उपबंध उस तारीख से प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश के रूप में किया जायेगा।

धारा 7 का 2. संशोधन

उत्तराखण्ड माल और सेवा अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उपधारा (1) में, खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा और 01 जुलाई, 2017 से अन्तःस्थापित किया गया समझा जाएगा; अर्थात्:-

“(कक) किसी व्यक्ति से भिन्न, किसी व्यक्ति द्वारा, उसके सदस्यों या घटकों को या विपर्ययेन, नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये क्रियाकलाप या संव्यवहार;

स्पष्टीकरण-इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये, यह स्पष्ट किया जाता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति और उसके सदस्यों या घटकों को दो पृथक व्यक्ति समझा जाएगा और क्रियाकलापों या संव्यवहारों की परस्पर पूर्ति, ऐसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को की गयी समझी जाएंगी;”।

21. 10

धारा 16 का 3. मूल अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (2) में, खण्ड (क) के पश्चात् संशोधन निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा; अर्थात्:-
“(कक) खण्ड (क) में निर्दिष्ट बीजक या नामे नोट के ब्यौरे पूर्तिकार द्वारा बाह्य पूर्ति के विवरण में प्रस्तुत किए गए हैं और ऐसे ब्यौरे, धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में ऐसे बीजक या नामे नोट के प्राप्तिकर्ता को संसूचित किए गए हैं;”।

धारा 35 का 4. मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (5) का लोप किया जायेगा। संशोधन

धारा 44 के 5. मूल अधिनियम की धारा 44 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर स्थान पर नई दी जाएगी; अर्थात्:-
धारा का “44. किसी इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का प्रतिस्थापन संचाय करने वाला कोई व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इलेक्ट्रानिक रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप में और रीति में, जिसे विहित किया जाए, संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें वित्तीय वर्ष के लिये प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित पूर्तियों के मूल्य के साथ सुमेलित करते हुए, एक स्वप्रमाणित सुमेलन विवरण सम्मिलित किया जा सकेगा।

वार्षिक विवरणी

परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस धारा के अधीन वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने से छूट प्रदान कर सकेगा।

परन्तु यह और कि इस धारा की कोई बात, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी को, जिनकी लेखाबहियां भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा के अधीन हैं या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की संपरीक्षा के लिये नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा की जाने वाली संपरीक्षा के अधीन हैं, लागू नहीं होगी।”।

धारा 50 का 6. मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1) में, परन्तुक के स्थान पर संशोधन निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा और 1 जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा; अर्थात्:-

“परन्तु धारा 39 के उपबंधों के अनुसार, किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में और शोध्य तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिये प्रस्तुत विवरणी में घोषित संदेय कर पर ब्याज, सिवाय वहां जहां ऐसी विवरणी उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई कार्यवाहियां आरम्भ होने के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है, कर के उस भाग के लिए संदेय होगा, जिसे इलेक्ट्रानिक नकद खाते से विकलन करके संदत्त किया जाता है।”।

A. M.

धारा 74 का 7. मूल अधिनियम की धारा 74 में, स्पष्टीकरण (1) में, खण्ड (ii) में, "तो धारा 122, धारा 125, धारा 129 और धारा 130 के" शब्दों और अंकों के स्थान पर "तो धारा 122 और धारा 125 के" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

धारा 75 का 8. मूल अधिनियम की धारा 75 में, उपधारा (12) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:-
"स्पष्टीकरण-इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, "स्वतः निर्धारित कर" पद में धारा 37 के अधीन प्रस्तुत किए गए ऐसी बाह्य पूर्तियों के ब्यौरों के संबंध में संदेय कर, सम्मिलित होगा जो कि धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में सम्मिलित नहीं किया गया है।"

धारा 83 का 9. मूल अधिनियम की धारा 83 में, उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी; अर्थात्:-
"(1) जहां अध्याय 12, अध्याय 14 या अध्याय 15 के अधीन किसी कार्यवाही के आरम्भ होने के पश्चात्, आयुक्त की यह राय है कि सरकारी राजस्व के हित की संरक्षा करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह लिखित में आदेश द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किसी कराधेय व्यक्ति या धारा 122 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की संपत्ति, जिसके अन्तर्गत बैंक खाता भी है, को अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा।"

धारा 107 का 10. मूल अधिनियम की धारा 107 में, उपधारा (6) में, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:-
"परन्तु धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन, किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक दाखिल नहीं की जाएगी, जब तक शास्ति के पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि का अपीलार्थी द्वारा संदाय न कर दिया गया हो।"

धारा 129 का 11. मूल अधिनियम की धारा 129 में,-
(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी ; अर्थात् :-
"(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति किसी माल का परिवहन करता है या माल का भंडारण करता है जब वे इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में अभिवहन में हैं, वहां ऐसे सभी माल और अभिवहन में उक्त माल को ले जाने के लिए परिवहन के साधनों के रूप में प्रयुक्त प्रवहण और ऐसे माल तथा प्रवहण से संबंधित दस्तावेज निरोध में लेने या अभिग्रहण के लिए दायी होंगे तथा निरोध या अभिग्रहण के पश्चात् निम्नलिखित रूप में निर्मुक्त हो सकेंगे-
(क) ऐसे माल पर संदेय कर के दौ सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में, माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर की कोई रकम या पच्चीस हजार रूपए, जो भी कम हो, के संदाय पर, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है;

(ख) माल के मूल्य के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति या ऐसे माल पर संदेय कर के दो सौ प्रतिशत के संदाय पर, जो भी अधिक हो और छूट प्राप्त माल की दशा में, ऐसे माल के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर की कोई रकम या पच्चीस हजार रूपए, जो भी कम हो, के संदाय पर, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे नहीं आता है;";

(ग) ऐसे प्ररूप और रीति से, जो विहित की जाए, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन संदेय रकम के बराबर प्रतिभूति देने पर:

परन्तु इस प्रकार का माल या अभिवहन, माल का परिवहन करने वाले व्यक्ति पर निरोध या अभिग्रहण के आदेश की तामील कराये बिना निरोध में या अभिग्रहण में नहीं लिया जायेगा।";

(ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।;

(iii) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:-

"(3) माल या वाहनों को निरुद्ध या उनका अभिग्रहण करने वाला उचित अधिकारी, यथास्थिति, निरोध या अभिग्रहण किए जाने के सात दिन के भीतर संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और तत्पश्चात्, उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन शास्ति के संदाय के लिये ऐसी नोटिस की तामील की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा।";

(iv) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:-

"(4) संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना उपधारा (3) के अधीन शास्ति अवधारित नहीं की जाएगी।";

(v) उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:-

"(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी उपधारा (3) के अधीन पारित आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, उपधारा (1) में यथाउपबंधित शास्ति की रकम का संदाय करने में असफल रहता है, तो इस प्रकार निरुद्ध या अभिगृहीत माल या वाहन, उपधारा (3) के अधीन शास्ति की वसूली के लिए ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जिसे विहित किया जाए, विक्रय किए जाने या अन्यथा निपटाए जाने का दायी होगा:

परन्तु परिवहनकर्ता द्वारा उपधारा (3) के अधीन शास्ति के संदाय पर या एक लाख रूपए, इनमें से जो भी कम हो, का संदाय किए जाने पर वाहन को निर्मुक्त किया जाएगा:

9/1/21

परन्तु यह और कि जहां निरुद्ध या अभिगृहीत किया गया माल नष्ट होने वाला या परिसंकटमय प्रकृति का है या समय के साथ उसके मूल्य में ह्रास की सम्भावना है, वहां पन्द्रह दिन की उक्त अवधि उचित अधिकारी द्वारा, कम की जा सकेगी।”।

धारा 130 का 12. मूल अधिनियम की धारा 130 में,—

संशोधन

(क) उपधारा (1) में, “इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि” शब्दों के स्थान पर, “जहां” शब्द रखा जाएगा;

(ख) उपधारा (2) में, दूसरे परन्तुक में, “धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति की रकम” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “ऐसे माल पर संदेय कर के एक सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति” शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा।

धारा 151 का 13.

संशोधन

सूचना मांगने की शक्ति

मूल अधिनियम की धारा 151 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी; अर्थात्:—

“151. आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जिसे उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के संबंध में व्यवहृत किसी मामले के संबंध में, कोई सूचना प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा।”।

धारा 152 का 14. मूल अधिनियम की धारा 152 में,—

संशोधन

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी; अर्थात्:—

“(1) धारा 150 या धारा 151 के प्रयोजनों के लिए किसी मामले के संबंध में दी गयी सूचना, संबंधित व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की लिखित पूर्व सहमति के बिना ऐसी रीति से प्रकाशित नहीं की जाएगी ताकि किसी विशिष्ट व्यक्ति को ऐसी विशिष्टियों की पहचान हेतु समर्थ बना सके और ऐसी सूचना संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना इस अधिनियम के अधीन किन्हीं प्रक्रियाओं के प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाई जाएगी।”;

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

अनुसूची 2 का 15. मूल अधिनियम की अनुसूची 2 में, प्रस्तर 7 का लोप किया जाएगा और 1 संशोधन जुलाई, 2017 से लोप किया गया समझा जाएगा।

2/1/20

**THE UTTARAKHAND GOODS AND SERVICES TAX
(AMENDMENT) Bill, 2021**

(Uttarakhand Bill No. of 2021)

**A
BILL**

further to amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017)-

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Seventy-second year of the Republic of India as follows:-

- Short title and commencement.**
1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021.
(2) Save as otherwise provided,
(a) the provisions mentioned in section 6 shall be deemed to have been come into force on the 01st day of June, 2021;
(b) the provisions mentioned in section 4 and 5 shall be deemed to have been come into force on the 01st day of August, 2021;
(c) the provisions mentioned in section 2, 3 and section 7 to 15 shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:
Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.
- Amendment of section 7.**
2. In section 7 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the Principal Act), in sub-section (1), after clause (a), the following clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:-
“(aa) the activities or transactions, by a person, other than an individual, to its members or constituents or *vice-versa*, for cash, deferred payment or other valuable consideration;
Explanation.—For the purposes of this clause, it is hereby clarified that, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any judgment, decree or order of any Court, tribunal or authority, the person and its members or constituents shall be deemed to be two separate persons and the supply of activities or transactions *inter se* shall be deemed to take place from one such person to another;”.
- Amendment of section 16.**
3. In section 16 of the Principal Act in sub-section (2), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

ak. An

“(aa) the details of the invoice or debit note referred to in clause (a) has been furnished by the supplier in the statement of outward supplies and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37;”.

Amendment of section 35.

Substitution of new section for section 44.

Annual Return.

4. In section 35 of the Principal Act sub-section (5) shall be omitted.

5. For section 44 of the Principal Act the following section shall be substituted, namely:-

“44. Every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person shall furnish an annual return which may include a self-certified reconciliation statement, reconciling the value of supplies declared in the return furnished for the financial year, with the audited annual financial statement for every financial year electronically, within such time and in such form and in such manner as may be prescribed:

Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, exempt any class of registered persons from filing annual return under this section:

Provided further that nothing contained in this section shall apply to any department of the Central Government or a State Government or a local authority, whose books of account are subject to audit by the Comptroller and Auditor-General of India or an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law for the time being in force.”.

Amendment of section 50.

6. In section 50 of the Principal Act in sub-section (1), for the proviso, the following proviso shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017; namely-

“Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, shall be payable on that portion of the tax which is paid by debiting the electronic cash ledger.”.

Amendment of section 74.

7. In section 74 of the Principal Act in *Explanation 1*, in clause (ii), for the words and figures “sections 122, 125, 129 and 130”, the words and figures “sections 122 and 125” shall be substituted.

ak

Amendment of section 75.

8. In section 75 of the Principal Act in sub-section (12), the following *Explanation* shall be inserted, namely:—
Explanation.—For the purposes of this sub-section, the expression "self-assessed tax" shall include the tax payable in respect of details of outward supplies furnished under section 37, but not included in the return furnished under section 39.

Amendment of section 83.

9. In section 83 of the Principal Act for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—
“(1) Where, after the initiation of any proceeding under Chapter XII, Chapter XIV or Chapter XV, the Commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of the Government revenue it is necessary so to do, he may, by order in writing, attach provisionally, any property, including bank account, belonging to the taxable person or any person specified in sub-section (1A) of section 122, in such manner as may be prescribed.”

Amendment of section 107.

10. In section 107 of the Principal Act in sub-section (6), the following proviso shall be inserted, namely:—
“Provided that no appeal shall be filed against an order under sub-section (3) of section 129, unless a sum equal to twenty-five per cent. of the penalty has been paid by the appellant.”

Amendment of section 129.

11. In section 129 of the Principal Act,
(i) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—
“(1) Notwithstanding anything contained in this Act, where any person transports any goods or stores any goods while they are in transit in contravention of the provisions of this Act or the rules made thereunder, all such goods and conveyance used as a means of transport for carrying the said goods and documents relating to such goods and conveyance shall be liable to detention or seizure and after detention or seizure, shall be released,—
(a) on payment of penalty equal to two hundred per cent. of the tax payable on such goods and, in case of exempted goods, on payment of an amount equal to two per cent. of the value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods comes forward for payment of such penalty;
(b) on payment of penalty equal to fifty per cent. of the value of the goods or two hundred per cent. of the tax payable on such goods, whichever is higher, and in case of exempted goods, on payment of an amount equal to five per cent. of the value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever is less, where the

[Handwritten signature]

owner of the goods does not come forward for payment of such penalty;

(c) upon furnishing a security equivalent to the amount payable under clause (a) or clause (b) in such form and manner as may be prescribed:

Provided that no such goods or conveyance shall be detained or seized without serving an order of detention or seizure on the person transporting the goods.”;

(ii) sub-section (2) shall be omitted;

(iii) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(3) The proper officer detaining or seizing goods or conveyance shall issue a notice within seven days of such detention or seizure, specifying the penalty payable, and thereafter, pass an order within a period of seven days from the date of service of such notice, for payment of penalty under clause (a) or clause (b) of sub-section (1).”;

(iv) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(4) No penalty shall be determined under sub-section (3) without giving the person concerned an opportunity of being heard.”;

(v) for sub-section (6), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(6) Where the person transporting any goods or the owner of such goods fails to pay the amount of penalty under sub-section (1) within fifteen days from the date of receipt of the copy of the order passed under sub-section (3), the goods or conveyance so detained or seized shall be liable to be sold or disposed of otherwise, in such manner and within such time as may be prescribed, to recover the penalty payable under sub-section (3):

Provided that the conveyance shall be released on payment by the transporter of penalty under sub-section (3) or one lakh rupees, whichever is less:

Provided further that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by the proper officer.”.

Amendment of section 130.

12. In section 130 of the Principal Act,-

(a) in sub-section (1), for the words “Notwithstanding anything contained in this Act, if”, the word “Where” shall be substituted;

21/11

(b) in sub-section (2), in the second proviso, for the words, brackets and figures "amount of penalty leviable under sub-section (1) of section 129", the words "penalty equal to hundred per cent. of the tax payable on such goods" shall be substituted;

(c) sub-section (3) shall be omitted.

**Substitution of new section for section 151.
Power to call for information.**

13. For section 151 of the Principal Act the following section shall be substituted, namely:-

"151. The Commissioner or an officer authorised by him may, by an order, direct any person to furnish information relating to any matter dealt with in connection with this Act, within such time, in such form, and in such manner, as may be specified therein."

Amendment of section 152

14. In section 152 of the Principal Act -

(a) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) No information with respect to any matter given for the purposes of section 150 or section 151 shall, without the previous consent in writing of the concerned person or his authorised representative, be published in such manner so as to enable such particulars to be identified as referring to a particular person and no such information shall be used for the purpose of any proceedings under this Act without giving an opportunity of being heard to the person concerned."

(b) sub-section (2) shall be omitted.

Amendment to schedule II

15. In schedule II of the Principal Act paragraph 7 shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 1st day of July, 2017.

Shy

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक "उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017" का संशोधन मात्र है।

2- उक्त विधेयक में राज्य की संचित निधि से किसी प्रकार का आवर्तक एवं अनावर्तक प्रकृति का कोई व्यय अन्तर्निहित नहीं है।

बंशीधर भगत
मंत्री
विधायी एवं संसदीय कार्य

विधायी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक "उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017" का संशोधन मात्र है।

2- उक्त संशोधन के द्वारा किसी प्रकार की अतिरिक्त विधायी शक्तियां का प्रत्यायोजन किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

बंशीधर भगत
मंत्री
विधायी एवं संसदीय कार्य

खण्डवार ज्ञापन

- प्रस्तावित विधेयक "उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017" का संशोधन मात्र है।
- 1- विधेयक के खण्ड 1 में संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
 - 2- विधेयक के खण्ड 2 में धारा 7 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
 - 3- विधेयक के खण्ड 3 में धारा 16 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
 - 4- विधेयक के खण्ड 4 में धारा 35 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
 - 5- विधेयक के खण्ड 5 में धारा 44 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
 - 6- विधेयक के खण्ड 6 में धारा 50 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
 - 7- विधेयक के खण्ड 7 में धारा 74 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
 - 8- विधेयक के खण्ड 8 में धारा 75 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
 - 9- विधेयक के खण्ड 9 में धारा 83 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
 - 10- विधेयक के खण्ड 10 में धारा 107 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
 - 11- विधेयक के खण्ड 11 में धारा 129 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
 - 12- विधेयक के खण्ड 12 में धारा 130 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
 - 13- विधेयक के खण्ड 13 में धारा 151 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
 - 14- विधेयक के खण्ड 14 में धारा 152 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
 - 15- विधेयक के खण्ड 15 में अनुसूची 2 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।

बंशीधर भगत
मंत्री
विधायी एवं संसदीय कार्य

कारण एवं उद्देश्यों का कथन

राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, माल या सेवाओं या दोनों की अंतःराज्यीय पूर्ति पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए प्रख्यापित किया गया है।

2. प्रस्तावित संशोधन व्यापार सुविधा, सरलीकरण एवं प्रवर्तन उपायों से संबंधित है। संशोधन प्रस्तावों के द्वारा राजस्व के हितों की सुरक्षा हेतु मुख्यतः परिवर्धित प्रवर्तन कार्यों के माध्यम से विसंगतियों को दूर करके और कानून में कमियों को दूर किया गया है। आईटी0सी0 का गलत तरीके से लाभ उठाने और/या उपयोग करने के मामले को भी सम्यक रूप से संबोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त कतिपय ऐसे परिवर्तन भी प्रस्तावित हैं जिनका उद्देश्य अनुपालन बोझ को कम करके व्यवसायों की सहायता करना है।

3. उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन अपेक्षित है।

4. प्रस्तावित विधेयक उक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

बंशीधर भगत
मंत्री
विधायी एवं संसदीय कार्य

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 was enacted with a view to make a provision for levy and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both and the matters connected therewith or incidental thereto by the State Government.

2. The amendments are related to Trade Facilitation Measures, Simplification Measures and Enforcement Measures. The amendment proposals pivot around enhanced enforcement to safeguard the interest of revenue by removing anomalies and plugging the loopholes in the law. The issue of wrongful availment and/or utilization of ITC has also been duly addressed. Further, some of the changes are also proposed which aimed at helping businesses by reducing the compliance burden.

3. For fulfilling the above objectives amendment in Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 is required.

4. The proposed Bill fulfills the aforesaid objectives.

Banshidhar Bhagat
Minister
Legislative & Parliamentary Affairs